FORM NO.|||

फर्दअहकाम

नियम (26)

अज अदालत..उपखण्ड अधिकारी [illegible]..........................मुकाम..............................

[illegible] बनाम .... चाहन्या बाई पुत्री [illegible] किस्म मु0..

.... मिसल न0.. [illegible]/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्रवाई मय इनीशियल्स हाकिम	नम्बर व तारीख अहकामजाब्ता शामिल मे जा...
[illegible]	प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थी चाहना बाई पुत्री गेरूलाल ने प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम चाहन्या बाई नि0 हथौली हाल नि0 गंदावद नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2075 से 78 मुताबिक खसरा नबर 147,91 में काश्तगार का नाम चाहन्या बाई दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संम्बधित पटवारी भू.अभि.निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम चाहन्या बाई के स्थान पर चाहना बाई दर्ज किया जावे। आज दिनाक ...[illegible]/2025.......... को सरे इजलास सुनाया गया।पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी इटावा	